



2026:AHC:180200

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 5411 वर्ष 2026

मनोज नागर

...आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : संजीव कुमार

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मनीष त्रिवेदी

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार, बैंक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष त्रिवेदी, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 131 वर्ष 2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 336(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना गजराउला, जिला अमरोहा के तहत अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने के प्रयास के बावजूद उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक एक किसान है और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसने बैंक को धोखा नहीं दिया है। आवेदक बैंक के किसी भी कर्मचारी के साथ साजिश में शामिल नहीं था। उसने किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी योजना) के तहत लिए गए ऋण का एक हिस्सा भी चुका दिया है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि बैंक के बकाया के रूप में 2,34,000 रुपये जमा किए गए थे।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक ने बैंक से ऋण लेने के लिए कभी कोई जालसाजी नहीं की। प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक और अस्पष्ट देरी हुई है। आवेदक बैंक अधिकारी मोहम्मद असलम द्वारा रची गई वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार है, जिसने धोखे से आवेदक को 5,00,000 रुपये के कृषि ऋण के बहाने बैंक दस्तावेजों और चेकों पर हस्ताक्षर करवाए और शेष राशि सह-आरोपी मोहम्मद असलम ने रख ली। आवेदक ने ऋण प्राप्त करने के लिए कोई जाली दस्तावेज या राजस्व अभिलेख तैयार नहीं किए। आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और बैंक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से जाली दस्तावेजों के आधार पर 12,00,000 रुपये का ऋण प्राप्त किया है। उसने राशि का कुछ हिस्सा चुका दिया है, लेकिन आज वह शेष राशि चुकाने से इनकार कर रहा है। आवेदक के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* अपराध बनता है, इसलिए अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकृत की जानी चाहिए।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

7. प्राथमिकी की जांच से स्पष्ट है कि आवेदक ने बैंक से 12,00,000 रुपये का ऋण लिया था। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक ने कई जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। आवेदक ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि उसे बैंक से धन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उसने कहा है कि उसे

अस्वाकरण: अनुवादित न्याय वादा का समझन हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



केवल 5,00,000 रुपये मिले और शेष राशि सह-आरोपी मोहम्मद असलम ने रख ली। प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध अपराध सिद्ध होता है।

8. श्रीकांत उपाध्याय और अन्य बनाम बिहार राज्य और एक अन्य (2024) 12 एससीसी 382 के प्रकरण में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। उक्त शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गंभीर प्रकरण में अभियुक्त को अंतरिम सुरक्षा या संरक्षण प्रदान करने से न्याय में गड़बड़ी हो सकती है। जब गिरफ्तारी वारंट या उद्घोषणा जारी की जाती है, तो आवेदक असाधारण शक्ति का प्रयोग करने का हकदार नहीं होता है। श्रीकांत उपाध्याय (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर 30 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"30. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। यद्यपि कई प्रकरणों में यह माना गया है कि जमानत एक नियम है, लेकिन किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रिम जमानत एक नियम है। यह नियम नहीं हो सकता और इसे देने का प्रश्न न्यायालय के सतर्क और विवेकपूर्ण निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जो प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उक्त शक्ति का प्रयोग करते समय, संबंधित न्यायालय को बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि गंभीर प्रकरणों में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा या संरक्षण प्रदान करने से न्याय में गड़बड़ी हो सकती है और विवेचना में काफी बाधा आ सकती है, क्योंकि इससे कभी-कभी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें विचलित करने की संभावना रहती है। हमारा यह मत नहीं है कि न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार लंबित रहने के दौरान अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि यह धारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित गिरफ्तारी से बचाने के लिए है और हम कहते हैं कि ऐसे आदेश अत्यंत उपयुक्त प्रकरणों में ही पारित किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में, जब गिरफ्तारी वारंट या उद्घोषणा जारी की जाती है, तो आवेदक असाधारण शक्ति का प्रयोग करने का हकदार नहीं होता है। निश्चित रूप से, इससे न्याय के हित में अत्यंत असाधारण प्रकरणों में

अग्रिम जमानत देने के न्यायालय के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फिर भी, लगातार आदेशों की अवहेलना करने और फरार रहने वाले व्यक्ति ऐसी जमानत के हकदार नहीं हैं।

9. पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2019) 9 एससीसी 24 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य न केवल आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य उद्देश्यों को भी पूरा करना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग संयमित रूप से किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी से पहले जमानत का विशेषाधिकार केवल असाधारण प्रकरणों में ही दिया जाना चाहिए। पी. चिदंबरम (उपरोक्त) के प्रासंगिक अनुच्छेद संख्या 69 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“69. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य न केवल आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य उद्देश्यों को भी पूरा करना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत दी गई शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार केवल असाधारण प्रकरण में ही दिया जाना चाहिए। न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक विवेक का प्रयोग उचित रूप से आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक के न्याय से भागने की संभावना और अन्य कारकों पर विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अग्रिम जमानत देने के लिए यह उपयुक्त प्रकरण है या नहीं। अग्रिम जमानत देना कुछ हद तक अपराध की विवेचना के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, इसलिए न्यायालय को अग्रिम जमानत देने की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए। अग्रिम जमानत नियम के रूप में नहीं दी जानी चाहिए और इसे तभी दिया जाना चाहिए जब न्यायालय आश्वस्त हो कि इस असाधारण उपाय का सहारा लेने के लिए असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं।”

10. यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किशोर विश्वासराव पाटिल बनाम दीपक यशवंत पाटिल और एक अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528 नामक निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसके प्रासंगिक प्रस्तर 14 और 15 इस प्रकार हैं:

"14.....

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



74. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य कई लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनमें आरोपी द्वारा दी गई जानकारी से महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रासंगिक सूचनाओं का पता चल सकता है। अग्रिम जमानत देने से विवेचना में बाधा आ सकती है। गिरफ्तारी से पहले जमानत का उद्देश्य व्यक्ति के निजी स्वतंत्रता के अधिकार और विवेचना एजेंसी के अब तक एकत्रित सामग्री के संबंध में आरोपी से पूछताछ करने और प्रासंगिक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए अधिक जानकारी एकत्रित करने के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करना है।

6.....

75. यह देखते हुए कि गिरफ्तारी कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली विवेचना का एक हिस्सा है, एड्री धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [एड्री धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2005) 4 एससीसी 303: 2005 एससीसी (आपराधिक) 933] में यह कहा गया था: (एससीसी पृष्ठ 313, प्रस्तर 19)

"19. सामान्यतः, गिरफ्तारी कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आरोपी से अपराध के मकसद, तैयारी, कृत्य और परिणाम के विभिन्न पहलुओं और अपराध में अन्य व्यक्तियों के संबंध (यदि कोई हो) के बारे में विस्तार से पूछताछ करनी पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें आरोपी ऐसी जानकारी प्रदान कर सकता है जिससे महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चल सके। विवेचना को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने और गवाहों तथा अपराध के पीड़ित से जुड़े व्यक्तियों की सुरक्षा करने, उसके लापता होने से रोकने और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक हो सकता है। इन



या अन्य कारणों से, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक अपरिहार्य हिस्सा बन सकती है। विवेचना के दौरान प्रस्तावित गिरफ्तारी की वैधता पर संहिता की धारा 438 के तहत दिए गए आवेदन में विचार नहीं किया जा सकता। विवेचनाकर्ता की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित है और विवेचना प्रक्रिया में न्यायालय के हस्तक्षेप का क्षेत्राधिकार सीमित है। न्यायालय सामान्यतः किसी अपराध की विवेचना या संज्ञेय अपराध में आरोपी की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप नहीं करता। यदि संहिता की धारा 438 के तहत दिए गए आवेदन पर विचार करते समय गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया जाता है, तो यह विवेचना में हस्तक्षेप माना जाएगा, जो किसी भी सूरत में संहिता की धारा 438 के तहत नहीं किया जा सकता।

76. **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [2011] 1 एससीसी 694: (2011) 1 एससीसी (आपराधिक) 514]** प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत से संबंधित प्रकरण पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों और मापदंडों को निर्धारित किया। न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा आरोपी की सटीक भूमिका को ठीक से समझना आवश्यक है और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

77. **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे [सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694: (2011) 1 एससीसी (आपराधिक) 514]** और अन्य निर्णयों का हवाला देते हुए और यह देखते हुए कि अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है, **जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य [जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य, (2012) 4 एससीसी 379: (2012)**

अस्वीकरण: अनुयायन न्यायिक पाठ्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2 एससीसी (आपराधिक) 468] में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

(एससीसी पृष्ठ 386, प्रस्तर 19)

"19. गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत देने के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक है और इसके अलावा ऐसी राहत देते समय, न्यायालय को इसके कारणों को दर्ज करना होगा। अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है जहां न्यायालय प्रथम दृष्टया इस विचार का हो कि आवेदक को झूठे तरीके से अपराध में फंसाया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।" (देखें डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरन [डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरन, (2007) 4 एससीसी 434 : (2007) 2 एससीसी (आपराधिक) 345], महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद साजिद हुसैन मोहम्मद एस हुसैन [महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद साजिद हुसैन मोहम्मद एस हुसैन, (2008) 1 एससीसी 213: (2008) 1 एससीसी (आपराधिक) 176] और भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल [भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल, (2008) 13 एससीसी 305: (2009) 1 एससीसी (आपराधिक) 11])"

78. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत दी गई शक्ति एक असाधारण उपाय होने के कारण, इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए; विशेष रूप से आर्थिक अपराधों के प्रकरण में। आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे समाज की आर्थिक संरचना को प्रभावित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन [प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन, (1998) 2 एससीसी 105: 1998 एससीसी (आपराधिक) 510] प्रकरण में यह माना गया था कि आर्थिक अपराधों में आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और एक अन्य (2020) 5 एससीसी 1 में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह माना कि अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने की संभावना, साक्ष्य से छेड़छाड़ या न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना होगा। न्यायालय ने कहा:-

“92.4. अग्रिम जमानत देने या न देने पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। जमानत देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है; इसी प्रकार, यदि कोई विशेष शर्तें लगाई जानी हैं (या नहीं लगाई जानी हैं) तो वे किस प्रकार की हैं, यह भी प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करता है और न्यायालय के विवेक के अधीन है।”

11. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विवेचना अभी प्रारंभिक चरण में है और सच्चाई का पता लगाने के लिए आवेदक से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। आवेदक के अधिवक्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण झूठा है। इस स्तर पर, अभिलेख में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह माना जा सके कि आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। अभिलेख में आए सबूत और प्रारंभिक विवेचना से आरोपों के लिए एक उचित आधार स्थापित होता प्रतीत होता है।

12. इस न्यायालय के मतानुसार, नियमित जमानत और अग्रिम जमानत देने के मापदंड अलग-अलग हैं और यह आवश्यक नहीं है कि जिन आधारों पर किसी अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा किया जा सकता है, वे ही आधार अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए भी पर्याप्त हों। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने गुरबखश सिंह सिब्बिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565 के प्रकरण में यह भी कहा है कि अग्रिम जमानत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसलिए, इस न्यायालय की असाधारण शक्ति होने के कारण इसका प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जा सकता है।

13. अतः, ऊपर बताए गए प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक अग्रिम जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

14. तदनुसार, यह अग्रिम जमानत याचिका **खारिज** की जाती है।

15. यदि कोई अंतरिम आदेश है, तो वह निरस्त माना जाएगा।

16. विवेचना अधिकारी विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

31 अगस्त, 2026

नितेन्द्र